

FORM No. III


फर्द अहकाम
(नियम २६)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

साथर वडो बनाम गिरधारी वडो

मा दाव मुकदमा नं. १११ सन् २०१८

2018

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वकील वादीगण श्री सुभाष चक्र शर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी लं. की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादीगण की पहचान श्री सुभाष चक्र शर्मा एड. ने की तथा प्रतिवादी ने. की पहचान श्री विजय उज्जारा शर्मा एड. ने की। उपस्थित पक्षकारों को राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे पुन व समझकर उपस्थित पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया उक्त हस्तक्षेपित पक्षकारों राजीनामा का तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>वकील वादीगण ने कैंम्प स्थल अदालत के मादवादी में मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जावे का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर गिरधारी तहसीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जहीर नहीं की।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रकॉर्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं लौक अदालत की भावना से वादीगण का वाद</p>	<p>साथर के व व ग गिरधारी</p> 

स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर
स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस
आशय की जारी की जाती है कि:-

आदेश



तत् ग्राम पीपलोदानावास तहसील खण्डेला
अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 194 ता 196,
198 एवं 219 एका 1.64 हे. में जतिवादी
नं. 1 के नाम दर्ज 4/35 हिस्सा में वादीगण
एवं जतिवादी नं. 1 को महिला का उत्तरा
कारिताकार घोषित किया जाता है। अतः द्वारा
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्ज है। तदनुसार
पर्या उिक्री जाती है। पत्रावली फंसल शपार होकर
बम्बर से कम है तथा वाद तहसील दाखिल कर
है। निर्णय मजमें आम प्रनामा गया।

14/6/8
जागीरथ शाह
(RA-3)
सहायक नज
फास्ट ट्रैक स

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला
पीठारीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

जनवान सायत बनाम गिरणी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नम्बर :- 77/2018

निर्णय दिनांक :- 14/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी
मिनजानिब मुददई रुबरु श्री सुभाष चक्र शर्मा

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

लन ग्राम विप्लोदाकावास तहसील खण्डेला अवाचित कृषि भूमि ख.नं. 194 ता 194, 198 एवं 219 ख.नं. 194 के अतिरिक्त त. 1 के माफ दर्ज 4/35 हिस्सा में वादीशाख एवं प्रतिवादी नं. 1 को अहिंसा का आदेश कारतका घोषित किया जाता है। उक्तबुहार राजस्व रेकोर्ड में असल नामक हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 14/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
फास्ट ट्रैक

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

- * ② वनवारी
 ③ शिवदयाल पुत्रागण स्व. जोधा
 जाति मीठा नि. पिपलौदाकावास तहसील खण्डेला
 जिला सीकर राज. — वादीगण



बनाम

- * पुत्र स्व. जोधा जाति मीठा नि. पिपलौदाकावास
 तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
 ② तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज. — प्रतिवादीगण

1/11/18
 जमीनशाख
 (RAS)
 सहायक कलेक्टर
 (फायर डिवीजन) खण्डेला